



राजस्थान-सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,  
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

ई-मेल: [rmsc.mnjy@gmail.com](mailto:rmsc.mnjy@gmail.com)

दूरभाष सं० : 0141-2224878  
क्रमांक: एफ04(300) / एमएनजेवाई / बजट / 2016-17 / 108

दिनांक: 01/04/16

अतिआवश्यक  
प्रथम स्तरण पत्र

संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,  
राजस्थान।

विषय:-मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटित बजट के क्रम में।

सन्दर्भ:-अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पत्रांक 911 दि० 07.04.16, वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय) के पत्रांक एफ040 लेखा/बजट प्लान/नि.जांच/2016-17 दि० 21.04.16 एवं पत्रांक 1062 दि० 14.06.14 के क्रम में।

उपरोक्त सन्दर्भ एवं विषयान्तर्गत मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटित बजट के पेटे व्यय के संबंध में आपको निम्न प्रकार से निर्देशित किया जाता है-

1. वित्तीय वर्ष 2016-17 में चिकित्सा संस्थानों में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना से संबंधित नियमित तथा रिक्त पदों के विरुद्ध तथा ग्रीडबेस के अनुसार एमआरएस/एजेन्सियों के माध्यम से कार्य पर लिये गये कार्मिकों का विवरण अदिलम्ब भिजवाये, जिसमें इन कार्मिकों के मानदेय भुगतान किये जाने की स्वीकृति वित्त विभाग से ली जा सके।

| क्र<br>स | एमएनजेवाई सहित चिकित्सालय में सभी पदों की संख्या आरएमआरएस एजेसी के माध्यम से लिये गये कार्मिक | लैब टेकिंग |         | असि० लैब टेकिंग/हैल्पर |        | रेडियोग्राफर/साहा० रेडियोग्राफर |       |        |         |       |  |
|----------|---|------------|---------|------------------------|--------|---------------------------------|-------|--------|---------|-------|--|
|          |   | नियमित     | कार्यरत | रिक्त                  | नियमित | कार्यरत                         | रिक्त | नियमित | कार्यरत | रिक्त |  |
|          |   |            |         |                        |        |                                 |       |        |         |       |  |

2. 12 ग्रांट इन एड मद में से केवल एमआरएस/एजेन्सियों के माध्यम से लिये गये कार्मिकों का मानदेय भुगतान किया जावे। 18 उपकरण मद में केवल उपकरणों के रिजेन्ट्स/कन्जुमेबल्स, एएमसी, सीएमसी आदि का कार्य करवाया जावे।
3. सभी भुगतान आवश्यक रूप से माहवार किये जावे तथा किये गये भुगतान के व्यय की सूचना IEMS / अनुभाग को प्रेषित करें।
4. जोन के बायोमेडिकल इंजिनीयर्स के साथ विचार विमर्श कर उपकरणों की एएमसी/सीएमसी/कन्जुमेबल्स/रिजेन्ट्स आदि का किया जाना सुनिश्चित करावे।
5. प्रतिदिन की जा रही निःशुल्क जांचों की संख्या ई-औषधी सॉफ्टवेयर में आवश्यक रूप से इन्ट्राज करवावे। तथा प्रतिमाह अनुभाग को रिपोर्ट प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावे।
6. वर्ष 2015-16 में किये गये व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

उपरोक्तानुसार वांछित सूचना पहले भी चाही गई थी परन्तु आज दिवस तक सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई इस संबंध में पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार रिपोर्ट आज ही अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाते हुये अनुभाग को ईमेल [rmsc.mnjy@gmail.com](mailto:rmsc.mnjy@gmail.com) पर भिजवाना सुनिश्चित करावे।

निदेशक (जन स्वा०)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर